झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्र सं०–08 / ज०सं०(नि०) कोर्ट केस–22 / 2009

तार्किक आदेश

1. माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची द्वारा WP(S) No.- 5836/2008 शम्भु प्रसाद जायसवाल बनाम झारखण्ड सरकार में पारित न्याय निर्णय दिनांक– 20.11.2017 के अनुपालन में यह आदेश पारित किया जा रहा है। पारित न्याय निर्णय दिनांक– 20.11.2017 का मुख्य अंश निम्नवत् है :–

....."15 Considering the facts of the case in the light of the principles of law as discussed above, necessarily leads to the Conclusion that the disciplinary authority has issued the order of punishment bearing letter No. 348 dated 21.11.2003 corresponding to memo no.- 1142 dated 21-11-2003 (a copy of which is the annexure -5 of the writ petition) in breach of principle of natural justice and that itself, vitiates that said order, as even though the disciplinary authority disagreed with the enquiry report yet he gave the petitioner the opportunity to show cause only against the punishment but no opportunity of satisfying that the finding of the enquiry officer is correct has been given to the petitioner of the disciplinary authority, if so advised, after indicating the reasons for disagreement, give show cause notice to the petitioner as to why he be not held guilty of the charges and also giving show cause notice in regard to the proposed punishment with affording an opportunity of satisfying that the finding of the enquiry officer is correct to the petitioner, may pass order in accordance with law.

16. So far as the second prayer for quashing the subsequent order of rejection of the review application as contained in annexure -9 dated 24.06.2008 is concerned vide the said order comment has been made on the punishment order. Vide the said order neither the punishment order has been held to be proper nor the same has been interfered with. Vide the said order only it has been mentioned that the Administrative department has no authority to consider review of the punishment in the departmental proceeding of his position of law of lack of authority of the Administrative department to consider review remains unchallenged. The said order therefore no way affected or interfered with the punishment order. Hence the said order does not warrant interference by this court.

17. In the result, the orders of disciplinary authority of awarding punishment bearing letter No. 348 dated 21.11.2003 corresponding to memo no. 1142 dated 21.11.2003(a copy of which is the annexure -5 of writ petition) is quashed and the writ petition is allowed with the aforesaid observation no costs."

2. पारित न्याय निर्णय के अनुपालन में विचाराधीन मामले में वादी शम्भु प्रसाद जायसवाल के मूल कार्य की समीक्षा संचालन पदाधिकारी के जाँच पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से करते हुए उक्त आलोक में show cause पूछ कर दण्ड पर विचार किया जाना है।

3.(i) यह विषय एकीकृत बिहार की अवधि में सिंचाई प्रमण्डल, वीरपुर के अन्तर्गत वर्ष 1998–99 की अवधि में कराये गये कार्यों में अनियमितता से संबंधित है तत्कालीन अवधि में कराये गये कार्य के सापेक्ष प्राप्त परिवाद की जाँच विभागीय उड़नदस्ता दल द्वारा करायी गयी। उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन दिनांक– 13.09.1999 के अनुसार रानी पट्टी वितरणी के वि०दू० 54.00 से 104.00 तक नहर तल सफाई के कार्य में रू० 4,59,570 / – मात्र के अधिक भुगतान में निम्न अभियंता दोषी पाये गये :–

ई० नन्द किशोर सिन्हा – कार्यपालक अभियांत, सिंचाई प्रमण्डल, वीरपुर

ई० शशि भूषण चौधरी – अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, मुख्य नहर अवर प्रमण्डल, बलुआ

ई० शम्भू प्रसाद जायसवाल – कनीय अभियंता, मुख्य नहर अवर प्रमण्डल, बलुआ।

(ii) विभाग स्तर पर उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन दिनांक– 13.09.1999 में पारदर्शिता के बिन्दु पर विभागीय पत्रांक– 2232 दिनांक– 28.10.1999 के द्वारा नहर तल सफाई के बिन्दु पर याचित कतिपय विस्तृत प्रतिवेदन मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, वीरपुर से प्राप्त होने पर समीक्षोपरान्त कार्य में संलग्न कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता के साथ–साथ वादी श्री शम्भू प्रसाद जायसवाल, कनीय अभियंता को विभागीय आदेश ज्ञापांक– 224 दिनांक– 16.08.2000 सहपठित ज्ञापांक– 27 दिनांक– 16.08.2000 के द्वारा पत्र निर्गमन की तिथि से निलंबित करते हुए असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियामवली के नियम– 55 के तहत् संकल्प ज्ञापांक– 1571 दिनांक– 21.12.2000 द्वारा निम्न आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही चलायी गयी।

(क) रानी पट्टी वितरणी वि०दू०–54.00 से 104.00 तक तल सफाई कार्य में कराये गये कार्य से अधिक भुगतान किय गया।

(ख) लालपुर उपवितरणी के वि०दू० 29.20 से वि०दू०–54 तक तल सफाई का कार्य कराये गये कार्य से अधिक भुगतान किया गया है।

(iii) संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में आरोप– 'क' रानी पट्टी वितरणी के वि०दू० 54.00 से वि०दू०104.00 तक के तल सफाई कार्य में जाँच पदाधिकारी ने अधिक भुगतान होना प्रमाणित नहीं पाया। आरोप – 'ख' लालपुर उपविरतणी का कार्य श्री जायसवाल, कनीय अभियंता को इसके लिए जिम्मेवार नहीं पाया गया है।

सम्यक् समीक्षोपरान्त विभाग द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से निम्नांकित विन्दुओं के अनुसार असहमति व्यक्त की गयी :–

(क) रानी पट्टी वितरणी के आर०डी० 54 से 69 तक में तल सफाई में वास्तविक प्राक्कलन के अनुसार 20 से 25% तक कमिटी के द्वारा जाँच में कमी पाया जाना। जबकि एक वर्ष में सीलटेशन 16% तक माना जा सकता है एवं इसी रानी पट्टी वितरणी के अन्य 2 रीचों में कार्यों में कमी मान्य सीमा के अन्तर्गत पाया जाना। सीलटींग के कारण कार्य में औसतन जो कमी होनी चाहिए उससे काफी अधिक कमी पायी गयी एवं सरकार को वित्तीय क्षति पहुँचाई गई।

(ख) लालपुर उपवितरणी के आर०डी० 84–104 के बीच वास्तविक प्राक्कलन के अनुसार कार्य में कमी एक वर्ष में 12 से 18% तक पाया जाना, जबकि 13% तक माना जा सकता है और इसी वितरणी के अन्य रीचों में कार्य में कमी मान्य सीमा के अन्तर्गत पाया जाना। सीलटींग के कारण कार्य में औसतन जो कमी होनी चाहिए उससे काफी अधिक कमी पायी गयी एवं सरकार को आर्थिक क्षति पहुँचाई गई।

(iv) उक्त असहमति के बिन्दु के लिए श्री जायसवाल, तत्कालीन कनीय अभियंता से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के समीक्षोपरान्त श्री जायसवाल के विरूद्ध विभागीय आदेश –348 दिनांक– 21.11.2003 सहपठित ज्ञापांक–1142 दिनांक– 21.11.2003 द्वारा निम्न दण्ड संसूचित किया गया :–

(क) "निन्दन" वर्ष 1998–99

(ख) संचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक।

(ग) अगले तीन वर्षों के लिए प्रोन्नति पर रोक।

(घ) निलंबन से मुक्त करते हुए निलंबन अवधि के लिए जीवन यापन भत्ता के अतिरिक्त और कुछ देय नहीं होगा एवं इस अवधि की गणना किसी भी सुविधा के

लिए मान्य नहीं होगा, परन्तु इसे सेवा में टूट नहीं माना जायेगा। अर्थात् पेंशन के निर्धारण में कुल सेवा अवधि की गणना के, कालावधि की गणना में, उपार्जित तथा अर्द्धवैतनिक अवकाश की गणना में तथा वेतनवृद्धि की गणना में इस अवधि की गणना नहीं की जायेगी।

(v) उक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री जायसवाल द्वारा एकीकृत बिहार की अवधि में आयुक्त एवं सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, सिंचाई भवन, पटना को संबोधित पुनर्विचार अभ्यावेदन दिनांक– 05.04.2004 समर्पित किया गया। झारखण्ड राज्य में वर्ष 2004 में कैडर विभाजन के क्रम में श्री जायसवाल से संबंधित अभिलेख विभाग को प्रेषित किया गया। मामले की समीक्षा के क्रम में विभाग द्वारा इस आधार पर श्री जायसवाल के पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया गया कि विभागीय कार्यवाही संचालन के पश्चात् संसूचित दण्ड के विरूद्ध प्रशासी विभाग को अपने ही निर्णय पर पुनर्विचार किये जाने की शक्तियाँ प्राप्त नहीं है। विभागीय पत्रांक– 1894 दिनांक– 24.06.2008 द्वारा श्री जायसवाल के पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत किये जाने की सूचना दिया गया।

4. वर्णित स्थिति में विभागीय स्तर पर मामले के समीक्षोपरान्त माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा याचिका सं०– WP(S) No. - 5836/2008 में दिनांक– 20.11.2017 को पारित न्याय निर्णय के अनुपालन में निम्न आदेश पारित किया जाता है :–

(i) जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत दण्ड संसूचन आदेश ज्ञापांक सं०– 348 दिनांक– 21.11.2013 सहपठित ज्ञापांक– 1142 दिनांक– 21.11.2003 को निरस्त किया जाता है।

(ii) श्री शम्भु प्रसाद जायसवाल, तत्कालीन कनीय अभियंता के दिनांक– 31.12.2008 को सेवानिवृत हो जाने के फलस्वरूप विभागीय संकल्प ज्ञापांक– 1571 दिनांक– 21.12.2000 द्वारा नियम–55 के तहत् संचालित विभागीय कार्यवाही को पेंशन नियमावली के नियम–43बी० में सम्परिवर्त्तित किया जाता है।

(iii) श्री जायसवाल, तत्कालीन कनीय अभियंता के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही से संबंधित मामले का निस्तार, माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायनिर्णय के observation के आलोक में 2nd show cause पूछ कर किया जायेगा।

5. उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

अतएव एतद द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

ह०/–
(विनय कुमार)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक 4631 /राँची, दिनांक 01-11-18

प्रतिलिपि : महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, प्रशाखा–03, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/श्री शम्भु प्रसाद जायसवाल, सेवानिवृत, सहायक अभियंता (चालू प्रभार), पता–206, देवेन्द्र लोक, रोड नं०–02, कंकड़बाग, पटना–800020/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/10/2018
(विनय कुमार)
सरकार के अवर सचिव